

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड-23,
आजमगढ़।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना विभाग, उ०प्र०,
लखनऊ।

पत्रांक:- /शा०स०ख०-23/ई-टेण्डर/2020-21/

दिनांक: 24-11-2020

विषय:- अल्पकालीन ई-निविदा सूचना सं० 05/अ०अ०/2020-21

महोदय,

शारदा सहायक खण्ड-23, आजमगढ़ के ई-टेण्डरिंग के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों की अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या-05/अ०अ०/2020-21 की छः प्रतियां सी०डी० सहित संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया इस क्षेत्र के किन्हीं दो बहुप्रचारित समाचार पत्रों में दिनांक 03.12.2020 के पूर्व एक दिवस के अन्तराल पर दो बार प्रकाशित करवाने की कृपा करें।
संलग्नक:- छः अदद प्रेस विज्ञप्ति/टेण्डर नोटिस सी०डी० सहित।

भवदीय,

अधिशाली अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड-23,
आजमगढ़

पत्रांक:- 1901 /शा०स०ख०-23/टेण्डर/तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1-कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
- 2-मुख्य अभियन्ता (शा०स०) सिंचाई भवन तेलीबाग लखनऊ
- 3-अधीक्षण अभियन्ता चतुर्दशम् मण्डल सिंचाई कार्य, आजमगढ़।
- 4-जिलाधिकारी, आजमगढ़।
- 5-पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़।
- 6-जिला सूचना अधिकारी, आजमगढ़।
- 7-एन०आई०सी० आजमगढ़।
- 8-अधिशाली अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड-32, आजमगढ़, 16, सुल्तानपुर/शारदा सहायक खण्ड-36, जौनपुर/बाढ़ खण्ड आजमगढ़।
- 9-सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ शारदा सहायक खण्ड-23, आजमगढ़।
- 10-नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।

अधिशाली अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड-23,
आजमगढ़

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड-23
आजमगढ़
अल्पकालिक ई-निविदा सूचना संख्या-05/E.E./2020-21

महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा (टेक्निकल तथा फाइनेशियल बिड) वेब पोर्टल <https://etender.up.nic.in> के माध्यम से सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में दर्जीकृत श्रेणी में पंजीकृत फर्मो/टेकेंदारो से तालिका संख्या-01 के अनुसार आमंत्रित की जाती है एवं तालिका संख्या-02 में वर्णित कार्यक्रमानुसार विभाग द्वारा गठित समिति के समक्ष आनलाइन खोली जायेगी।

तालिका संख्या-01

लॉट नं०	कार्य का नाम	अनुमानित मात्रा	घरोहर घनराशि (१० लाख)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य रु०	पंजीकृत टेकेंदार की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	ठेकमा राजवाहा के कि०मी० 60.400 से कि०मी० 61.000 तक सर्विस रोड के गढ़दामुक्त का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.60	30 दिवस	225+ 18% GST चार्ज	C श्रेणी
2	भरीली राजवाहा के कि०मी० 10.000 से कि०मी० 10.500 तक सर्विस रोड के गढ़दामुक्त/ नदीनीकरण का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.50	30 दिवस	150+ 18% GST चार्ज	C श्रेणी
3	भरीली राजवाहा के टेलगुल कि०मी० 0.000 से कि०मी० 1.250 तक सर्विस रोड के गढ़दामुक्त का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	1.40	30 दिवस	225+ 18% GST चार्ज	C श्रेणी
4	कोरागहनी माइनर के कि०मी० 3.600 से कि०मी० 5.100 तक सर्विस रोड के गढ़दामुक्त का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	1.30	30 दिवस	225+ 18% GST चार्ज	C श्रेणी
5	कन्हरिया राजवाहा के कि०मी० 9.100 से कि०मी० 10.400 तक सर्विस रोड के गढ़दामुक्त का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.90	30 दिवस	225+ 18% GST चार्ज	C श्रेणी
6	ठेकमा राजवाहा के कि०मी० 36.520 से कि०मी० 38.800 तक सर्विस रोड के गढ़दामुक्त का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	2.15	30 दिवस	300+ 18% GST चार्ज	C श्रेणी
7	तालगज राजवाहा के कि०मी० 30.000 से कि०मी० 30.419 तक सर्विस रोड के गढ़दामुक्त का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.40	30 दिवस	150+ 18% GST चार्ज	C श्रेणी
8	टीकरगढ़ राजवाहा के कि०मी० 3.240 से कि०मी० 4.185 तक सर्विस रोड के गढ़दामुक्त का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.80	30 दिवस	225+ 18% GST चार्ज	C श्रेणी
9	खनेरा माइनर के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 1.760 तक सर्विस रोड के गढ़दामुक्त का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	1.40	30 दिवस	225+ 18% GST चार्ज	C श्रेणी
10	कुसावा माइनर के कि०मी० 0.500 से कि०मी० 0.900 तक सर्विस रोड के गढ़दामुक्त का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.40	30 दिवस	150+ 18% GST चार्ज	C श्रेणी
11	आजमगढ़ शाखा के कि०मी० 6.000 से कि०मी० 6.500 तक सर्विस रोड के गढ़दामुक्त का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.50	30 दिवस	150+ 18% GST चार्ज	C श्रेणी

तालिका संख्या-02

Sl. No.	Particulars	Date	Time
1-	Notification	25-11-2020	
2-	Upload on website	03-12-2020	10:00
3-	Bid Submission Start	03-12-2020	10:00
4-	Bid Submission End	10-12-2020	12:00
5-	Technical Bid Opening	10-12-2020	14:00
6-	Financial Bid Opening	Date and Place to be decided after technical bid evaluation and will be communicated on-line to successful bidders in technical bid	

नियम एवं शर्तें-

1. इस ई-निविदा की सूचना, विवरण व शर्तें उ०प्र० सरकार की वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> सूचना विम की वेबसाईट <http://information.up.nic.in> तथा सिंचाई विभाग की वेबसाईट <http://idup.nic.in> पर उपलब्ध है।
2. इस ई-निविदा की सूचना से सम्बंधित शेष सूचनाये, शर्तें एवं शुद्धीकरण सम्बंधी सूचनाये वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध रहेंगी। निविदादाता कृपया उक्त वेबसाईट का निरन्तर अवलोकन करने कष्ट करें।

3. निविदादाता को यूपी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ में ई-टेंडरिंग हेतु पंजीकरण करना अनिवार्य है। यूपी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के माध्यम से ई-टेंडरिंग हेतु प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी।
4. निविदादाता द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी/ट्रेनिंग अथवा किसी अन्य कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाये/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पढ़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
5. निविदादाता को निविदा डालने से पूर्व कार्यस्थल की पूर्ण जानकारी स्वयं प्राप्त करनी होगी एवं कोई भी अन्य जानकारी कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड-23, आजमगढ़ से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। कार्यस्थल की जानकारी नहीं होने के कारण कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
6. कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
7. निविदादाता को निविदा मूल्य स्टेशनरी चार्ज एवं टैक्स सहित (जी0एस0टी0) की धनराशि तालिका-1 के कालम सं0 6 के अनुसार आनलाइन के माध्यम से जमा करना होगा, जिसके रसीद की स्कैनड कापी बिड के साथ ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करना होगा अन्यथा उनकी बिड को Unresponsive मानते हुए कोई विचार नहीं किया जायेगा।
8. निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि तालिका-1 के कालम सं0 4 के अनुसार आनलाइन के माध्यम से जमा करना होगा, जिसके रसीद की स्कैनड कापी बिड के साथ ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करना होगा अन्यथा उनकी बिड को Unresponsive मानते हुए कोई विचार नहीं किया जायेगा।
9. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ केवल सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (IDT-1), हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2), स्व घोषणा रापथ-पत्र (IDT-3) के समस्त अभिलेखों की स्कैनड प्रति वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा निविदा खोलने के समय उपरोक्त समस्त अभिलेखों की मूल प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। वेबसाइट पर डाइंग उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड-23 आजमगढ़ से डाइंग आदि प्राप्त कर सकेंगे।
10. इच्छुक निविदादाताओं को बतहिए कि यह वेबसाइट पर अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों को ठीक प्रकार से वर्गीकृत करके समस्त अभिलेखों को इन्डैक्स में दिये गये क्रमानुसार ही व्यवस्थित एवं पेजिंग करके अपलोड करें।
11. अनुभव -
निविदादाता को अनुभव के रूप में सी0पी0डब्लू0डी0 मैन्युअल के अनुसार विगत पाँच वर्षों में सफलता पूर्वक संपादित किये गये कार्यों के सम्बन्ध में निम्न विवरणानुसार अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो राजकीय विभाग के अधिशासी अभियन्ता अथवा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रमाणित हो -
(1) तीन समान प्रकृति के कार्य जिनकी लागत कार्य के 40 प्रतिशत से कम न हो,
अथवा
(2) दो समान प्रकृति के कार्य जिनकी लागत कार्य के 60 प्रतिशत से कम न हो,
अथवा
(3) एक समान प्रकृति के कार्य जिनकी लागत कार्य के 80 प्रतिशत से कम न हो,
12. टर्न ओवर - पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी भी वित्तीय वर्ष की अधिकृत चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट का वार्षिक टर्न ओवर 75% से कम न हो।
13. यन्त्र संयन्त्र - निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न फॉर्म-ई के अनुसार निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि हॉट मिक्स प्लान्ट संयंत्र एवं अन्य उपकरण स्वयं के पास उपलब्ध है। हॉट मिक्स प्लान्ट संयंत्र एवं उपकरणों के फॉर्म के नाम ओनरशीप हो या उस कार्य अधि के लिए प्लान्ट के ओनर के मध्य हुए एग्रीमेन्ट की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. निविदादाता को फाइनेन्शियल बिड (Financial/Price Bid) के साथ ₹0 100/- (नान जुडिशियल) स्टैम्प पेपर पर ₹0 1/- का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी। इससे पहले निविदा/आफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इसकी स्कैनड कापी ऑनलाइन निविदा के साथ अपलोड करनी होगी। निविदादाता द्वारा जी0एस0टी0, आयकर, लेबरसेस, रायल्टी व अन्य प्रचलित टैक्स नियमानुसार देय होगा। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टैम्प ड्यूटी जमा करना होगा।
15. निविदादाता द्वारा निविदत्त दरों में आयकर, लेबर सेस, रायल्टी, टोल टैक्स तथा अन्य प्रचलित टैक्स नियमानुसार समाहित होंगे जबकि निविदत्त दरों में जी0एस0टी0 सम्मिलित नहीं होगा। जी0एस0टी0 का भुगतान विभाग द्वारा बीजक की धनराशि के आधार पर नियमानुसार किया जायेगा।
16. इस निविदा को बिना कारण बताये, पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
17. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य संभावित निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया या घमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो तो भी उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

1. कोई निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। यदि ऐसा कोई तथ्य निविदादाता छुपाकर अनुबन्ध करता है तो अनुबन्ध को निरस्त करते हुए प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी एवं कराए गये कार्यों का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
2. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. राज्य बार काउन्सिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्तागण निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
4. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी एवं निविदा दाता को भविष्य में निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबन्धित किया जा सकता है।
5. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त किया जायेगा।
6. विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि तथा समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जायेगी।
7. प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का पहले यह निरीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता IDT-1, IDT-2, IDT-3, निविदा मूल्य, निर्धारित प्रतिभूति धनराशि एवं अनुभव प्रमाण पत्र ठीक-ठीक उपलब्ध कराये गये हैं या नहीं। इनमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है।
8. तकनीकी बिड के **Evaluvation** में सफल निविदा दाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
9. शासनादेश सं०-622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी०सी० दिनांक 08.06.2012 के निहित प्रावधानों के क्रम में कार्य की विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा 10 प्रतिशत तक दर कम डालने पर 0.50 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक **Below** दर डालने पर 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर से अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफारमेंस गारण्टी ली जायेगी। वांछित सिक्योरिटी डिपॉजिट एवं परफारमेंस गारण्टी की धनराशि अनुबन्ध के समय जमा करना अनिवार्य होगा।
10. यदि ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार कार्य प्राप्त करने के लिए कार्यों की अनुमानित लागत से सामिप्राय अत्यन्त कम दरें दे दी जाती हैं तो शासनादेश सं०: 16/326/17-27-सि-3-08 टी०/84 दिनांक: 21.04.2017 के पैर सं०-05 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आशंका की पुष्टि होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा गुण-दोष के आधार पर सकारण आदेश प्रख्यापित कर निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा।
11. शासनादेश संख्या-383/36-2-2010 श्रम अनुभाग-2, दिनांक: 26.02.2010 द्वारा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन नियमावली-2009 के अन्तर्गत ठेकेदार को श्रम विभाग में किये जाने वाले उक्त कार्य का पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है।
12. प्रत्येक निविदादाता को निम्न जानकारी की स्कैन्ड प्रतिलिपि को बिड के साथ ई-टेंडरिंग पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है-
 - क. वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (IDT-1), हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2), स्व घोषणा शपथ-पत्र (IDT-3) की प्रति।
 - ख. पिछले तीन साल का आयकर चुकता प्रमाण पत्र/एसेसमेंट आर्डर अथवा एसेसमेंट आर्डर न होने की दशा में आईटीआर0 एक्नालेजमेंट।
 - ग. श्रम विभाग द्वारा निर्गत वैध श्रम पंजीकरण प्रमाण पत्र।
 - घ. समान प्रकृति के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।
 - ङ. पिछले तीन वर्ष की बैलेन्स शीट।
 - च. वर्तमान में चल रहे कार्यों की सूची।
 - छ. संस्था के प्रकरण में पार्टनरशीप डीड के अनुबन्ध की अभिप्रमाणित प्रति।
 - ज. निविदादाता के पास निविदा प्रपत्र में दिये गये प्रपत्र पर टी०एण्डपी० एवं अन्य विवरण।
 - झ. टिन, पैन तथा जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन की प्रति।
 - ट. बिड कंपैसिटी।
 - ठ. निविदा मूल्य, निर्धारित प्रतिभूति धनराशि तथा दरें 90 दिवस तक मान्य होगी का अनुबन्ध।
13. अन्य शर्तें एवं कार्य स्थल का विवरण निविदा प्रपत्र में संलग्न हैं।


 अधिशासी अभियन्ता
 शारदा सहायक खण्ड-23
 आजमगढ़